न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 04/2021 बउनवानी सुश्री अदिती राजावत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली एडवोकेट,163/98, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर

GCMS No-2021/00005

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
03.02.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 07.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भूप्रबंध अधिकारी टोंक को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भूप्रबंध अधिकारी टोंके के पत्रांक फा/सभूप्रअ/सूकाअ/16/2020 573 दिनांक 23.11.2020 लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर .सवाईमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अति. जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(234)सूकाअ/2020/3382 दिनांक 2.12.2020 से तहसीलदार बौंली को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. ख0न0 39/4 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा ग्राम मोरण पटवार सर्किल मोरण तहसील बौंली उक्त खसरा वर्तमान में गिरधर सिंह पुत्र भवंर सिंह जाति राजपूत के नाम है पूर्व में दुर्गासिंह पुत्र भवंर सिंह के नाम दर्ज था। ख0न0 39/4 कब एवं कैसे दुर्गा सिंह पुत्र भवंर सिंह के नाम दर्ज हुआ, इससे पूर्व (सम्वत् 1961 से पूर्व) उक्त खसरा किसके नाम दर्ज थी। प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./सूकाअ/2021/42 दिनांक 3.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.2020 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही सूचना जरिये पत्रांक 14 दिनांक 5.1.2021 से कुल 2 पृष्ठों की सूचना अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट को वांछित सूचना भिजवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया । पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना कुल 2 पृष्ठों की तहसीलदार बौंली द्वारा जरिये पत्रांक 14 दिनांक 5.1.2021 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.06.09 17:38:33 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर